बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–4 (पथ) आरोप–45 / 12 27 (S) पटना, दिनांक :– 02/01/18

श्री राम कृष्ण प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, कटिहार, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पथ प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत मिठनपुरा चौक से कलमबाग चौक होते हुए ठाकुर नर्सिंग होम तक कराये गये पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के संबंध में कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पायी गयी त्रुटियों / अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7925 (एस) दिनांक–21.08.15 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रपत्र–'क' के तहत कुल 3 आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन के पत्रांक–61 (अनु0) दिनांक–30.01.17 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रपत्र–'क' के तहत गठित सभी 3 (तीन) आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तहत अंकित निष्कर्ष / मंतव्य के विभागीय समीक्षोपरांत उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक–6392 (एस) अनु0 दिनांक–17.07.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

4. श्री प्रसाद के पत्रांक–शून्य दिनांक–12.09.17 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत मुख्य रूप से I.R.C. के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है एवं उक्त प्रावधानों के आधार पर पथ परत में पायी गयी त्रुटियों और पथ परत के क्षतिग्रस्त होने के दायित्व संबंधी विद्यमान तथ्यों की इतर व्याख्या कर विषयांतरित करने का प्रयास मात्र किया गया है। विभागीय समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि workmanship के अभाव में पथ का Top layer क्षतिग्रस्त हो गया, जो आकस्मिक रूप से DLP में प्रकट नहीं हो गया, बल्कि यह पूर्व से ही क्षतिग्रस्त था, जिसकी अनदेखी कार्य के कार्यान्वयन के दौरान ही की गई थी। इस संबंध में श्री प्रसाद के द्वारा अपने तकनीकी पक्ष की सुविधा को ही दृष्टिपथ में रखते हुए प्रासंगिक नियमों / प्रावधानों को misinterprate करते हुए गैर तथ्य परक तत्वों के आधार पर अनियमित रूप से दावा किया गया है, जो युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

5. इसी प्रकार, आरोप संख्या–02 के संबंध में श्री प्रसाद के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जाना कि निरीक्षण के समय निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया–तथ्यगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नगत मामले में स्पष्ट रूप से पी0सी0सी0 कार्य की प्रावधानित औसत मुटाई 300 एम0एम0 के स्थान पर 284 एम0एम0 पायी गयी और श्री प्रसाद के तर्क के अनुसार यदि पृथक रूप से भी तीनों क्रॉस सेक्शन पर आकलित मुटाई क्रमश 303 एम0एम0, 276 एम0एम0 एवं 212 एम0एम0 पाये जाने के आधार पर भी मामले की समीक्षा की जाय, तो सन्निहित प्रावधानों की तुलना में दो क्रॉस सेक्शन पर काफी कम मुटाई पाये जाने की पुष्टि होती है, जिसके संबंध में श्री प्रसाद के द्वारा कोई तर्कसंगत तथ्य नहीं रखे जाने के फलस्वरूप यह दावा भी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

6. आरोप संख्या–03 के संबंध में श्री प्रसाद के द्वारा यह कहना कि कंक्रीट क्यूब टेस्ट के लिए कम से कम 48 अदद cylindrical core of concrete की जाँच की आवश्यकता थी, परन्तु उड़नदस्ता प्रमंडल द्वारा मात्र 10 अदद सैम्पल जाँच के आधार पर ही Compressive Strength का आकलन कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया–प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नगत पी0सी0सी0 का Compressive Strength स्पष्ट रूप से 200kg/cm^2 के स्थान पर मात्र 124kg/cm^2 ही पाया गया है, जो प्रावधान का मात्र 62 प्रतिशत है, जिसके खंडन के संबंध में भी श्री प्रसाद के द्वारा कोई ठोस साक्ष्य नहीं रखा गया है।

7. जहाँ तक प्रमाणिक विधि की अनदेखी कर calcium content assume करने एवं control sample नहीं लिये जाने का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि सीमेंट, बालू एवं चिप्स के निर्धारित अनुपात 1:5.5:3 के स्थान पर प्रावधान से कम 1:4.63:7.16 पाया जाना कार्य का स्वतः sub-standard होना प्रमाणित करता है और उक्त संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी कोई तर्कसंगत अभिमत गठित नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप श्री प्रसाद का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मामले में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को सरकार के निर्णयानुसार अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत प्रमाणित आरोपों का दोषी पाते हुए श्री प्रसाद को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) **एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

02/01/18

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 28 (S)

पटना, दिनांक :– 02/01/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव, प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना को विभागीय web site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

02/01/18

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 28 (S)

पटना, दिनांक :– 02/01/18

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/01/18

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 28 (S)

पटना, दिनांक :– 02/01/18

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1/2), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, एवं रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं

<u>निबंधित</u> श्री राम कृष्ण प्रसाद, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, कटिहार, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/01/18

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E/Nigrani Section-2011-2012/Dinesh Kumar/Adhisuchna-2014

02.01.18